


न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर

आज्ञा - पत्र


पत्रावली संख्या 80/15 विषय 9-4518 काठे खानाबाग

दिनांक	आज्ञा	विशेष विवरण
22/7/20	<p>भामिभूषण ने आज कार्य स्थापित करने की सूचना दी है। पी.आर.सी. अधिकारी नरेंद्र अन्ध मरकशी कार्य में वास्तविकता के अनुसार कार्य में दिनांक 9/9/20</p> <p><i>कि</i></p>	
9/9/20	<p>भामिभूषण ने आज कार्य स्थापित करने की सूचना दी है। पी.आर.सी. अधिकारी नरेंद्र अन्ध मरकशी कार्य में वास्तविकता के अनुसार कार्य में दिनांक 21/10/20</p> <p><i>कि</i></p>	
21/10/20	<p>भामिभूषण ने आज कार्य स्थापित करने की सूचना दी है। पी.आर.सी. अधिकारी नरेंद्र अन्ध मरकशी कार्य में वास्तविकता के अनुसार कार्य में दिनांक 9/12/20</p> <p><i>कि</i></p>	
19/12/20	<p>भामिभूषण ने आज कार्य स्थापित करने की सूचना दी है। पी.आर.सी. अधिकारी नरेंद्र अन्ध मरकशी कार्य में वास्तविकता के अनुसार कार्य में दिनांक 27/11/21</p> <p><i>कि</i></p>	
27/11/21	<p>पी.आर.सी. अधिकारी नरेंद्र अन्ध मरकशी कार्य में वास्तविकता के अनुसार कार्य में दिनांक 04/12/21 को पेश हो। <i>कि</i></p>	
4/12/21	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थ अधिकाधिक उपकरण / अपीलार्थ अधिकाधिक से अग्रत प्रत्यापन की अधिनस्थ न्यायालय में जो दावा चल रहा था, उसे वाकी द्वारा नहीं चलाने की वजह से खारिज हो गया है। अपीलार्थ अधिकाधिक</p>	

दिनांक आज्ञा

के द्वारा 117/15 उत्तम मदनलाल काम
 नन्दराम का निर्णय खारिज होने की
 आदेशिका प्रस्तुत की जिसे संलग्न
 पत्रावली सिपा गया। अपीलान्त अतिमावक
 ने बताया कि जब दावे का निर्णय अद्वितीय
 न्यायालय में हो गया है तो उक्त अपील को
 आगे चलाना का कोई औचित्य नहीं है।
 अतः अपीलान्त उक्त अपील को खरी
 निर्या करता है।

अपीलान्त अतिमावक की बहस
 पर क्रम किया गया। व अद्वितीय न्याया
 लय की आदेशिका अवलोकित किया
 गया। अद्वितीय न्यायालय में परिष्कार-पर
 खारिज हो चुकी। अतः उक्त ~~उक्त~~ उक्त
 अपील को आगे चलाने आते का कोई
 औचित्य नहीं है। अपील अपीलान्त की
 खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर
 से क्रम हो फौजलशुगर उर दफ्तर
 दारिजल हो फौजलशुकर न्यायालय
 में सुनाया गया।


 सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील अधिकारी
 बीकानेर